रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936
No. 580] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

सं. 21/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 791(अ).— केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रारंभिक पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त सारणी के क्रम सं. 65क के सामने विनिर्दिष्ट मालों को 11 मई, 2015 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।"

(ख) सारणी में, क्रम संख्या 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"65क	27	जहाजों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूल्स अर्थात्: — (i) आईएफओ 180 सीएसटी , (ii) आईएफओ 380 सीएसटी ।	शून्य	52";

(ग) उपाबंध में, सशर्त संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"52	यदि, — (i) बंकर ईंधन, पोत अथवा यानों जो व्यापारी शिपिंग अधिनियम, 1958 (44 का 1958) के अंतर्गत पंजीकृत हैं और मात्र भारतीय ध्वज लहराते हों, में प्रयोग के लिए आयात किये जाते हों, (ii) ऐसे पोत अथवा यान दो अथवा दो से अधिक भारतीय पत्तनों में कार्गो माल को ले जाते हों (किसी मध्यवर्ती विदेशी पत्तन सहित); (iii) ऐसे पोत अथवा यान ऐसे पत्तनों के बीच चालकों कंटेनरों निर्यात-आयात कार्गों खाली कंटेनरों अथवा दोनों को ले जाते हों; (iv) ऐसे पोत अथवा यान मैनीफैस्ट (आईजीएम), जैसा भी मामला हो के अलावा सीमा-शुल्क के साथ सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (52 का 1962) के अंतर्गत किसी कार्गो माल से संबंधित दस्तावेज को फाइल नहीं करते हों; (v) यान का स्वामी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनधि और उत्पादक एवं वेयरहाऊस कीपर्स एक उदघोषणा-सह उपक्रम-जिसमें किसी वर्गीकृत सोसाइटी जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ का एक सदस्य हो, द्वारा जारी ईंधन की खपत दर स्पष्ट करने वाले किसी दस्तावेज पर आधारित सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, को इस अधिसूचना के अंतर्गत अपेक्षित बंकर ईंधनों की मात्रा और इस अभियान के दौरान यान द्वारा पूरा किये जाने वाली प्रस्तावित दूरी बताने वाला हो; (vi) यान का स्वामी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि और उत्पादक एवं वेयरहाऊस कीपर्स सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, को अदा किये जाने के लिए किसी भी उपयुक्त निबंधों के अनुपालन में उसके असफल होने की स्थिति में ऐसे सामान पर उद्ग्रहणीय शुल्क धनराशि के बराबर हो किन्तु इस पर लागू ब्याज सहित इसमें समाविष्ट छूट हेतु एक उपक्रम प्रस्तुत करता है। "

[फा. सं. 354/126/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 12/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 443(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2014

No. 21/2014 - Central Excise

G.S.R.791(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely: -

In the said notification,—

(a) in the opening paragraph, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that nothing contained in this notification shall apply to the goods specified against serial number 65A of the said Table on or after the 11th day of May 2015;";

(b) in the Table, after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :—

"65A	27	The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely:- (i) IFO 180 CST; (ii) IFO 380 CST.	Nil	52";

(c) in the ANNEXURE, after condition number 51 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"52	If,- (i) the bunker fuels are procured for use in ships or vessels which are registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and fly the Indian flag only; (ii) such ships or vessels carry cargo between two or more Indian ports (including an intermediate foreign port); (iii) such ships or vessels carry either containerised export-import cargo or empty containers or both between such ports; (iv) such ships or vessels do not file any cargo related documentation under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) with the Customs authorities, other than an import manifest (IGM) or an export manifest (EGM), as the case may be; (v) the Master of the vessel or his authorised agent and the manufacturer or the warehouse keeper, as the case may be, submit a declaration-cum-undertaking stating the quantity of bunker fuels required under this notification to the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, based on a document certifying the consumption rate of fuel issued by any classification society which is a member of International Association of Classification Societies (IACS) and the distance proposed to be covered by the vessel during its voyage; (vi) the Master of the vessel or his authorised agent and the manufacturer or the warehouse keeper, as the case may be, submit an undertaking to the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, to pay, in the event of his failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the exemption contained therein, along with the applicable interest thereon.".

[F. No. 354/126/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E) dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No.12/2014-Central Excise, dated the 11th July, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 443(E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

सं. 31/2014-सीमा शुल्क

सा.का.नि.792 (अ).— केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में क्रम सं. 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,:-

"121क	27	जहाजों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूल्स अर्थात्:- (i) आईएफओ 180 सीएसटी , (ii) आईएफओ 380 सीएसटी ।	शून्य	शून्य	101"

(ख) सारणी के पश्चात्, परंतुक में, खंड (खग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(खघ) 11 मई, 2015 को या उसके पश्चात् उक्त सारणी के क्रम सं. 121क के सामने विनिर्दिष्ट माल;" ।

(ग) अनुबंध में शर्त संख्या 100 के सामने तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित शर्त अंतस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"101	यदि,- (i) बंकर ईंधन, पोत अथवा यानों जो व्यापारी शिपिंग अधिनियम 1958 (44 का 1958) के अंतर्गत पंजीकृत हैं और मात्र भारतीय ध्वज लहराते हों, में प्रयोग के लिए आयात किये जाते हों, (ii) ऐसे पोत अथवा यान दो अथवा दो से अधिक भारतीय पत्तनों में कार्गो माल को ले जाते हों (किसी मध्यवर्ती विदेशी पत्तन सहित); (iii) ऐसे पोत अथवा यान ऐसे पत्तनों के बीच चालकों कंटेनेरों निर्यात-आयात कार्गों खाली कंटेनरों अथवा दोनों को ले जाते हों; (iv) ऐसे पोत अथवा यान मैनीफैस्ट (आईजीएम) या निर्यात मैनुफैस्ट (ईजीएम) जैसा भी मामला हो के अलावा सीमा-शुल्क के साथ सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (52 का 1962) के अंतर्गत किसी कार्गो माल से संबंधित दस्तावेज को फाइल नहीं करते हों ; (v) यान का स्वामी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनधि और आयातक एक उद्घोषणा-सह-उपक्रम जिसमें किसी वर्गीकृत सोसाइटी जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ का एक सदस्य हो, द्वारा जारी ईंधन की खपत दर स्पष्ट करने वाले किसी दस्तावेज पर आधारित सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो , को इस अधिसूचना के अंतर्गत अपेक्षित बंकर ईंधनों की मात्रा और इस अभियान के दौरान यान द्वारा पूरा किये जाने वाली प्रस्तावित दूरी बताने वाला हो; (vi) यान का स्वामी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि और आयातक सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, को अदा किये जाने के लिए किसी भी उपयुक्त निबंधों के अनुपालन में उसके असफल होने की स्थिति में ऐसे सामान पर उद्ग्रहणीय शुल्क धनराशि के बराबर हो किन्तु इस पर लागू ब्याज सहित इसमें समाविष्ट छूट हेतु एक उपक्रम प्रस्तुत करता है। "

[फा. सं. 354/126/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 30/2014-सीमा-शुल्क, तारीख 20 अक्तूबर, 2014, सा.का.नि. 736(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2014

No. 31/2014-Customs

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.185 (E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification,-

(a) in the Table, after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"121A	27	The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely:- (i) IFO 180 CST; (ii) IFO 380 CST.	Nil	Nil	101";

(b) after the Table, in the proviso, after clause (bc), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bd) the goods specified against serial number 121A of the said Table on or after the 11th day of May 2015; " ;

(c) in the ANNEXURE, after condition number 100 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"101	If,- (i) the bunker fuels are imported for use in ships or vessels which are registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and fly the Indian flag only; (ii) such ships or vessels carry cargo between two or more Indian ports (including an intermediate foreign port); (iii) such ships or vessels carry either containerised export-import cargo or empty containers or both between such ports; (iv) such ships or vessels do not file any cargo related documentation under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) with the Customs authorities, other than an import manifest (IGM) or an export manifest (EGM), as the case may be; (v) the Master of the vessel or his authorised agent and the importer submit a declaration-cum-undertaking stating the quantity of bunker fuels required under this notification to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, based on a document certifying the consumption rate of fuel issued by any classification society which is a member of International Association of Classification Societies (IACS) and the distance proposed to be covered by the vessel during its voyage; (vi) the Master of the vessel or his authorised agent and the importer submit an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, to pay, in the event of his failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the exemption contained therein, along with the applicable interest thereon.".

[F. No. 354/126/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended by notification No. 30/2014-Customs, dated the 20th October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 736(E), dated the 20th October, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.